HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 22nd September, 2006

No. Web 12/H.A.6/2003/S.59/2006.– The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedules B and C appended to the said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official website www.haryanatax.com together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified:-

Draft Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003),-

1. in Schedule B-

(i) after serial number 29 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"29A	Hawan Samgri when sold in sealed packets or containers";

(ii) after serial number 38 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"38A	Papad";

2. in Schedule C-

(i) after serial number 16B and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added, namely:-

1	2
"16C	Candle";

(ii) after serial number 24 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

1	2
"24A	Desi Ghee".

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 सितम्बर , 2006

संख्या वैब 12/ ह0अ0 06 /2003/ धा0 59/ 2006.– संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची ख तथा ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू. डॉट हरियाणाटैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या इसके पश्चात् सरकार , संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का अधिनियम 6) में,–

1. अनुसूची ख में,–

(i) क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:–

1	2
''29क	हवन सामग्री जब बंद पैकेटों या डिब्बों में बेची जाए।'';

(ii) क्रम संख्या 38 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:–

1	2
''38क.	पापड़ '';

2. अनुसूची ग में,–

(i) क्रम संख्या 16 ख तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
''16ग	मोमबत्ती '';

(ii) क्रम संख्या 24 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

1	2
''24क	देसी घी ''।

एल.एस.एम. सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।